बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संख्या- यो० स्था०-70-1/2002 2842 /यो0वि, पटना, दिनांक 11 सितम्बर, 2006

प्रेषक,

एन0 एस0 माधवन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा: वित्त विभाग ।

विषय: बिहार राज्य योजना पर्षद में राज्य सरकार के मुख्य सचिव/आयुक्त एवं सचिव /सचिव के स्तर के 7(सात) परामर्शी के पदो के सृजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार राज्य योजना पर्षद का गठन वर्ष 1972 में किया गया था तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसका पुर्नगठन किया गया है । पर्षद का अंतिम पुर्नगठन योजना एवं विकास विभाग के संकल्प सं0-1724 दिनांक 29.05.2006 द्वारा किया गया है ।

2. राज्य योजना सूत्रण तथा केन्द्रीय योजनाओं के स्वरूप में वर्त्तमान अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप राज्य के दीर्धकालीन योजना सूत्रण के प्राथमिकताओं में बदलाव आया है । योजनओं का लक्ष्य दूरलक्षी परिणाम प्राप्त करना है और इसके लिए समयवद्ध तरीके से योजनाओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । इन्ही उदेश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से योजना एवं विकास विभाग के संकल्प सं0-1724 दिनांक 29.05.2006 के द्वारा राज्य योजना पर्षद का पुर्नगठन किया गया है ।

3. उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सकार ने बिहार राज्य योजना पर्षद के पुर्नठन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के योजना आयोग के तर्ज पर पर्षद को योजनाओं के सूत्रण एवं अनुश्रवण में परामर्श तथा सहायता देने के लिए कुल 40,60,000/- रू0(चालीस लाख साठ हजार रू0) की अनुमानित वार्षिक व्यय पर निम्नलिखित 7 परामर्शी के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है (व्यय विवरणी संलग्न) जिनमें से 5 परामर्शी सदस्यों के अनुरूप सेक्टरों के प्रभार में रहेगे तथा 2 परामर्शी का क्षेत्रीय प्रभार रहेगा :-

I.	परामर्शी	-	अर्थशास्त्री
II.	परामर्शी	-	आधरभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रावैधिकी
III.	परामर्शी	-	विशेषज्ञ, वित्तीय मामले
IV.	परामर्शी	-	कृषि एवं ग्रामीण विकास
V.	परामर्शी	-	शिक्षा एवं स्वास्थ
VI.	परामर्शी	-	उत्तर बिहार
VII.	परामर्शी	-	दक्षिण बिहार

4. इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन आयव्ययक शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाऐं- 101- योजना आयोग आयोजन वोर्ड-0001-बिहार राज्य योजना बोर्ड विपत्र कोर्ड एन0-3451001010001 से विकलनीय होगा । इसके निकासी एवं व्ययन पदा0 वे स्वयं होगे ।

5. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है ।

7. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(signature)

(एन0 एस0 माधवन)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 2842 दिनांक 11/9/06

प्रतिलिपिः कोषगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature)

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 2842 दिनांक 11/9/06

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त, बिहार/आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद के आप्त सचिव/सदस्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/सभी आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार राज्य योजना पर्षद के सभी सदस्य एवं पर्षद के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature)

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार राज्य योजना पर्षद् के परामर्शियों के वेतनादि पर होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणी

(in Rs.)

2- परामर्शियों के वेतनादि मद में वार्षिक व्यय प्रतिवेदन		
1- वेतन	22400 X 12	2,68,800.00
2- मंहगाई वेतन	11200 X 12	1,34,400.00
3- मंहगाई भत्ता	8064 X 12	96,768.00
4- आवास भत्ता	5040 X 12	60,480.00
5- नगर क्षतिपूर्ति	180 X 12	2,160.00
कुल		5,62,603.00
चिकित्सा पर अनुमानित व्यय		17,392.00
कुल योग		5,80,000.00
7 परामर्शियों पर होने वाला अनुमानित व्यय	5,80,000 X 7	40,60,000.00

(चालीस लाख साठ हज़ार रु0)

आयुक्त एवं सचिव ।

Budget 1/doc.06